

आदेश

प्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) का आंशिक रूप स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 4 के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 15, 296 / 15, 297 / 15 एवं 299 / 15 में आवागमन हेतु प्रार्थीगण नम्बर 5 लगायत 11 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 21 में से तहसीलदार चिड़ावा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शे में अंकित बिन्दू ए से बी चौड़ाई 52 मीटर लम्बाई 04 मीटर कुल क्षेत्रफल 208 वर्गमीटर भूमि को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है तथा तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि रास्ते के रूप में समायांजित होने वाली भूमि प्रार्थीगण द्वारा डी.एल.सी. की दौगुना रकम जमा करवाये जाने के उपरान्त ही उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(डा० नरेश सोनी)

उपखण्ड अभिकर्ता चिड़ावा

उपखण्ड अभिकर्ता (राज.) खुले

(डा० नरेश सोनी)

उपखण्ड अभिकर्ता चिड़ावा

चिड़ावा जिला शुच्युत (राज.)



न्यायालय में सुनाया गया

दिनांक 12/11/20... मेरे द्वारा पृथक

से उपखण्ड अभिकर्ता (राज.) खुले